

RTI/Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/67/2013-14

22 अक्टूबर, 2013

सेवा में,
श्री दीपक इसरानी
अवर सचिव/ केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,
नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री लीला सिंह, r/o एल. एक्स. पार्ट-II, म.न. 24, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-59 का दिनांक 29 सितम्बर, 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/-रुपए का यूसीआर न. बी-2348 दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 द्वारा आर टी आई शुल्क जमा कर नागर विमानन विभाग, सह-महाप्रबंधक द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही की सूचना आवेदक को देने हेतु आवेदन किया है, चूंकि पत्र की विषय-वस्तु आपके कार्यालय से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. श्री लीला सिंह, r/o एल. एक्स. पार्ट-II, म.न. 24, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-59 - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।
2. श्रीयुत सहायक पोस्ट मास्टर, डाकघर, वसंत विहार नई दिल्ली।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

0/C



DEPARTMENT OF POST

Office of the Postmaster Gr-II
Vasant Vihar -I Post Office
New Delhi-110057



TO

CPIO
VICE PRESIDENT OF INDIA
MAULANA AZAD ROAD
NEW DELHI 110001

NO- RTI/Corr/VV125/2013-14 dated at ND-110057 the 19/10/2013
**Subject-Fwd of Application for seeking information under RTI Act case LEELA SINGH R/O L EX PART 2
H NO-24 MOHAN GARDEN NEW DELHI 10059**
An application received from **LEELA SINGH R/O L EX PART 2 HNO-24 MOHAN GARDEN NEW DELHI
110059**
seeking information from your office under RTI Act with.2005 is forwarded here

Required fee Rs 10/-has been paid by the applicant wide this office UCR NO-C-2348 DATED
18/10/2013 VASANT VIHAR N D 110057-


Asst Postmaster
Vasant Vihar-I Post office
New Delhi- 110057

Copy to-LEELA SINGH R/O L EX PART 2 H NO-24 MOHAN GARDEN NEW DELHI
110059

COPY TO

C.P.I.O
Vice President of India
Maulana Azad Road
New Delhi-1

RTI/VVS/125/18/10/13

To

CPIO Ministry OF Civil Aviation

Rajeev Gandhi Bhavan Safdarjung Air Port

New Delhi 3

Ref- RTI एक अधिकारी श्रीमति अनिल सिंह सह:महा प्रबंधक द्वारा बदसलूकी के खिलाफ दिनांक 29-9-13

मान्यवर:-

18-10-13

मेरे पितासिंह Traffic Hand (Rtd) R% L-Ex Part II H.N. 24 Mohan Garden New Delhi 59 जोकि 18-9-1954 में इन्डिया में उपरोक्त विभाग Civil Aviation Department में नियुक्त हुआ। और दिल्ली सफदरजंग एयर पोर्ट में सन् 1994 में सेवा निवृत्त हुआ। जिसके बाद आज तक पेंशन ले रहा हूँ।

दस्तावेज है कि जब नेशनल एयर पोर्ट अर्थोटी बनाई गई तो मुझे सन् 1989 में नेशनल एयर पोर्ट अर्थोटी आप इंटिया में नोन दिया गया था। और जितने दिन मैंने करीब 35 साल (Civil Aviation Department) के माध्यम से बतौर एक इमानदार एव बेदाग कर्मी जो देश कि सेवा कि उसकी पेंशन आज ले रहा हूँ।

इसके बाद एयर पोर्ट अर्थोटी जोकि मुझे सेवा निवृत्त पश्चात केवल मेडिकल सुविधा ही प्रधान करती है उसने मेरा एक कार्ड बनाया हुआ था। जिसमे मेरा घर का पत्ता उम्र तथा सेवा निवृत्त तिथि तथा सभी चीजें बतौर प्रमाण मौजूद है। उसे मैंने कई जगह बतौर (Residence-ID) पेश किया हुआ है। इसके बाद वह पुराना कार्ड बदल कर उसके स्थान पर नया कार्ड विभाग द्वारा प्रदान कर दिया गया। अब मुझसे उस पुराने कार्ड कि ओरजीनल कापी या फोटो कापी विभाग द्वारा स्थापित कि गई हो मांगी गई है। इसी कारण मैंने उपरोक्त विभाग की सह: महा प्रबंधक श्रीमति अनिल सिंह के समक्ष आवेदन किया था। जिन्होंने मुझे कई दिन चक्कर कटाने के बाद मेरी करीब 60 साल पुरानी सर्विस बुक निकलवा कर देखने के बाद भी यह कह कर कि तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो। मेरे उस दस्तावेज को रने से मना कर दिया। और उल्टा सीधा पेंशन बन्द करवा दूगीं। और मेडिकल भी बन्द करवा दूगीं, वैगरा 2 और ना जा



VASANT VIHAR -1 <110057>
UCR Rpt.No: B 2348 Counters 2 <18/10/2013>
Name: LEELA SINGH
Address: MOHAN GARDEN ND-59
Amount: 10.00
Purpose: Miscellaneous
Description: RTI ACT 2005
Counter Asst. Code: <RKR> <13:47:3>



लिहाजा :-

1. सुचना के अधिकार के माध्यम कि धारा सनु : 2005 के तहत प्रार्थी जानना चाहता है कि जो दस्तावेज उपरोक्त विभाग का ही प्रार्थी हेतु प्रदान किया हुआ है। उसके लिये यह कहना कि हमारे विभाग द्वारा ही यह दस्तावेज प्रदान किया गया है उसके लिये किसी को भी क्या अपति हो सकती है। जब नहीं करना था तो 3 घन्टे एक 80 साल के बुर्जग को परेशान करने के लिये या उसका टाईम बरबाद करने के लिये सर्विस बुक निकलवा कर देखने का बहाना करके क्यो बिठाये रखा, कई कर्मियों को फाईल दुढने मे परेशान क्यो किया, और सब कुछ देखने के बाद सही था तो साईन क्यो नही किये उपरोक्त अधिकारी द्वारा ऐसा करना क्या न्याय संगत है, जाहीर है उपरोक्त अधिकारी को विभाग ने इस लिये काम नही दे रखा है जोकि इस प्रकार टाईम पास करती हैं, क्या 80 साल का बुर्जग टाईम पास कि चीज है जिसने उसी विभाग को अपने 40 साल दिये क्या वह मजाक उडाने कि चिज है कृप्या RTI के तहत बताये क्यो?

2. जिस कर्मि ने उपरोक्त विभाग को अपने 40 साल दिये क्या कोई अधिकारी उसकी सेवा को नाकार कर यह कह सकता कि वह उसका कर्मि नही है। यदि कर्मि नही है तो उसे मेडिकल सुविधा तथा पेंसन किस आधार पर प्रदान कि जा रही है, उसकी सर्विस बुक उपरोक्त विभाग मे 60 साल बाद भी क्या कर रही है। उसकी जरूरत क्या है। कृप्या RTI तहत बताये क्यो

3. इसके बाद उपरोक्त अधिकारी ने अपने कमरे जि। शब्दो का प्रयोग किया और जिस ने सुना वह जाहीर कह नहीं पायेगा, क्योकि उसकी कहने बाद शामिल आ जायेगी, कृप्या बताये कि क्या कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को जीते जी मृत घोषित कर सकता है, उसकी भारत सरकार से कानूनन मिलने वाली पेंसन को बन्द करवा सकता है। क्या उसकी मेडिकल सुविधा बन्द करवा सकता है? जबकि सरकार भी बुजुर्गों का अधिक से अधिक सर्तकता से ध्यान रखती है। जबकि सरकार कि कई योजनाये है उनके लिये। कृप्या बताये जिस अधिकारी को अपने पद का बेहद गुरुर हों। उसी के चलते अपने पद का दुरउपयोग करता हो, जिसकी नजर मे किसी व्यक्ति या बुजुर्ग का लिहाज ना हो जो केवल सारे दिन बैठ कर विभाग से लाखो लेता हो। चाहे जाँच करके देख ले, और एक साईन करने लिये भी दुनिया भर का नाटक करे, अपने काम को करने से इन्कार करे क्या उसे बने रहने का अधिकार है कृप्या RTI के तहत बताये?

4. इसके बाद जिस उपरोक्त अधिकारी कि कमांड मे 6 महीने का (Medical of Rtd Employee Pending) हो जाहीर काम नही हो रहा है कृप्या बताये क्या ऐसे अधिकारी को सरकार या विभाग बरदास करेगी उस पर लाखों हर महीने खर्च करेगी। कृप्या RTI के तहत बताये? क्यो

(Leela Singh Sr Citizen 80 year)

L-Ex.Part II H.N.24 Mohan Garden

New Delhi 59

M-N 93710411 2016